

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 1995/अग्रहायण 24, 1917

No. 519]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1995/ AGRAHAYANA 24, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1995

सा० का० नि० 798 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1995 है ।
(2) ये 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त होंगे ।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 16 के उप-नियम (1) में, "सात पूर्ण दिन" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस पूर्ण दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० 810/89/(19)/94-एफ०(सी०)]

रघु मेनन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3(i) में दिनांक 9-5-83 के सा०का० नि० सं 381 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और इसको बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

- | | |
|---|---|
| (1) सा०का० नि० 83 (अ) दिनांक 28-2-84; | (7) सा०का० नि० 603 (अ) दिनांक 3-8-94; |
| (2) सा०का० नि० 413 (अ) दिनांक 29-5-84; | (8) सा०का० नि० 816 (अ) दिनांक 16-11-94; |
| (3) सा०का० नि० 814 (अ) दिनांक 13-12-84; | (9) सा०का० नि० 817 (अ) दिनांक 16-11-94; |
| (4) सा०का० नि० 772 (अ) दिनांक 21-10-89; | (10) सा०का० नि० 121 (अ) दिनांक 11-3-95; |
| (5) सा०का० नि० 702 (अ) दिनांक 27-11-91; | (11) सा०का० नि० 370 (अ) दिनांक 28-4-95। |
| (6) सा०का० नि० 67 (अ) दिनांक 30-1-92; | |

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1995

G.S.R. 798 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Third Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force with effect from the 1st January, 1996.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, in sub-rule (1) of rule 16, for the words "seven clear days" the words "twenty one clear days" shall be substituted.

[File No. 810/89/(19)/94-F(C)]

RAGHU MENON, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rule was published, *vide* No. GSR 381(E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3(i) and subsequently amended by :

- (i) GSR 83(E) dated 28-2-84;
- (ii) GSR 413(E) dated 29-5-84;
- (iii) GSR 814(E) dated 13-12-84;
- (iv) GSR 772(E) dated 21-10-89;
- (v) GSR 702(E) dated 27-11-91;
- (vi) GSR 67(E) dated 30-1-92;

- (vii) GSR 603(E) dated 3-8-94;
- (viii) GSR 816(E) dated 16-11-94;
- (ix) GSR 817(E) dated 16-11-94;
- (x) GSR 121(E) dated 11-3-95;
- (xi) GSR 370(E) dated 28-4-95.